उप वन संरक्षक, चूरू

जमा करने या विहित कालावधि के करारनाम निष्पादित करने में विफल रहता है तो इस प्रकार विफल रहने को निबन्धनों तथा शर्तो का भंग माना जायेगा। निबन्धनों तथा शर्तो को भंग करने या अनुबन्ध को असंतोषप्रद ढंग से पूरा करने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। जी.एफ. एण्ड ए.आर. / पी.डब्लु.एफ.एण्ड ए.आर. तथा राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधान लागू होगें। इस सम्बन्ध में उप वन संरक्षक, चूरू का निर्णय अन्तिम होगा।

16. संदाय में विक्षेपण व्यय (रेमिटेंस चार्जेज) संविदाकारों द्वारा वहन किये जायेगे। कोई अग्रिम संदाय नही किया जायेगा, तथा जीएसटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें।

17. सफल निविदादाता द्वारा सामग्री सप्लाई कार्यादेश में वर्णित स्थानों पर कर सामग्री स्थापित की जावेगी। उक्त सामग्री का बिल जो उप वन संरक्षक, चूरू के नाम होगा। कार्यादेश अनुसार सामग्री की मात्रा एवं स्पेसिफिकेशन के अनुसार गुणवत्ता एवं सिस्टम वर्किंग की जांच कर सही व संतोषजनक पाये जाने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

18. भुगतान :–

(क) बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में लोक उपापन नियमों के अनुसार बिंल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा। सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जायेंगे। किसी भी सूरत में अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। देय भुगतान में से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि की नियमानुसार कटौतिंया की जायेगी।

(ख) विवादास्पद मदों में राशि का 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जायेगा।

(ग) उन मामलों में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जायेगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाये तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित निर्देशों के अनुरूप हों।

19. निर्धारित अवधि में सामग्री की आपूर्ति नियमानुसार नही होने पर पी.डब्ल्यू.एफ.एण्ड ए.आर. में अंकित प्रावधानों एवं संपादित अनुबंध के अनुसार परिनिर्धारित क्षति की वसूली संबंधित संवेदक से की जायेगी।

20. सशर्त निविदा स्वीकार नही की जावेगी।

21. वित्त विभाग (सामान्य वित्तीय एवं लेखानियम) के परिपत्र क्रमांक एफ 2 (1)वित्त / जीएण्डटी–एसपीएफसी / 2017 / जयपुर दिनांक 23.12.2020 के अनुसार बिड सिक्योरिटी के रूप में संलग्न मानक प्रारूप में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त घोषणा प्रपत्र पर 50 रूपये स्टाम्प ड्यटी तथा स्टाम्प ड्यूटी की राशि का 30 प्रतिशत सरचार्ज दैय होगा। इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

22. व्यवस्था के दौरान सामान की टूट–फूट ,चोरी, व प्राकृतिक प्रकोप से होने वाली संभावित हानि की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।

23. जिस फर्म की दरें स्वीकृत की जावेगी, उसे 03 दिवस में 2.5 प्रतिशत Performance सिक्योरिटी राशि (BG/FDR) जमा कर नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा। जिसका व्यय संबन्धित फर्म को वहन करना होगा।

24. सोलर पैनल 05 किलोवॉट रूफटॉप सिस्टम गुणवत्ता स्पेशीफिकेशन के अनुसार तथा कार्य प्रणाली सुचारू होनी चाहिये अन्यथा होने वाले नुकसान का उत्तरदायित्व स्वंय फर्म / सप्लायर का होगा। सफल बोलीदाता को 5 साल तक सोलर सिस्टम में पायी जाने वाली किसी भी खराबी को ठीक करने की वारन्टी देनी होगी जिसके फलस्वरूप कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि उक्त अवधि की समाप्ति पश्चात संदेय होगी।

25. निविदादाता द्वारा करार को पूर्ण करने तथा इस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदाकार का होगा। यदि निविदाकार निर्धारित अवधि में अनुबंध पत्र निष्पादित करने में विफल रहता है तो इस प्रकार विफल रहने को निर्बन्धनों तथा शर्तो का उल्लधंन माना जाकर धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी। धरोहर राशि / अमानत राशि अंशतः जब्त करने के संबंध में केताधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा ।

26, निविदादाता द्वारा घोषणा पत्र एस.आर. नम्बर 11 में प्रस्तुत करना होगा।

27. परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट फूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूटफूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

28. आयकर की कटौति नियमानुसार की जावेगी।

उप वन संरक्षक, चूरू

29. उपापन संस्था – किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए बोलीदाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

30. सामग्री की प्रदायगी वन मण्डल चूरू के अधीन वन विभाग कार्यालय चूरू/राजगढ/तारानगर/सरदारशहर/रतनगढ रेंज स्थित नर्सरी में एक साथ अथवा इस कार्यालय की आवश्यकतानुसार अलग–अलग स्थानों पर मांगी जा सकती है। प्रदायक फर्म को तदानुसार एफ.ओ.आर. (समस्त प्रकार के प्रभार व खर्चों सहित) सुपुर्दगी कर स्थापित करनी होगी। आपूर्ति की गई सामग्री को संबन्धित रेंज अधिकारी अथवा अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा प्रमाणित बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा। बिना सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणन के सामग्री बिल को स्वीकार नही किया जायेगा। आवश्यकता होने पर की गई आपूर्ति के नमूनो को मापदण्ड अनुसार किसी अधिकृत प्रयोगशाला से परीक्षण कराया जा सकेगा। उक्त परीक्षण का व्यय मय परिवहन प्रदायक फर्म को ही वहन करना होगा। नमूना परीक्षण की मात्रा एवं प्रयोगशाला चयन का अधिकार पूर्णतया उपापन अधिकारी का होगा।

31. मात्रा केवल अनुमानित है, कोई भी कमी या बेशी करने की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित होगी।

32. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षैत्र चूरू होगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर

(नाम):–..

फर्म का पताः–...

....

....

उप वन संरक्षक, चूरू

कार्यालय उप वन संरक्षक, चूरू

सोलर पैनल रूफटॉप 05 कि.वॉ.सिस्टम

"निविदा प्रारूप" (वित्तीय प्रस्ताव)

1. निविदा सूचना :– ई निविदा सूचना संख्या 03/2021–22
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व पूर्ण पता मय दूरभाष सहित ....

....

....

....

3. जिसके लिये निविदा प्राप्त की जानी है, उसका विवरण :– ....
4. किसको संबोधित किया गया :– उप वन संरक्षक, चूरू।
5. प्रदाय की जाने वाली सामग्री की दरें बी.ओ.क्यू. मे अंकित कर दी गई है।

क. सं.	कार्य का विवरण	प्रस्तुत दरे प्रति सिस्टम
1	Supply and Installation and grid connection of Solar panel Power Units of 5KW (Net Metering, Rooftop Mount) Solar Panel 500 Watt (ISI/MNRE) Invertor (ISI) Batteries (ISI) Structure (G.I. Iron) Wiring (Polycab/Havells/ISI Marks) (With Minimum Warrantee and Maintenance of 05 years for system and 25 year for panels. Churu Head Qtr. Nursery : 5 KW Rajgarh Range Campus Nursery : 5KW Taranagar Nursery : 5KW Sardarshahar Range Campus Nursery : 5KW Ratangarh Nursery : 5KW	दरें BOQ में अंकित कर दी गई है।

6. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से दी गई अवधि के भीतर मण्डल कार्यालय की मांग अनुसार सोलर पैनल 05 किलोवॉट स्थापित कर दिया जावेगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम ....

फर्म का पूर्ण पता ....

मोबाइल नम्बर ....